रिहाई का आदेश दिया है। हिदायत दी गई है कि वे र सोमवार को सुबह दस में हाजिरी देंगे।

अतिरिक्त महान्यायवादी लत को बताया कि इन तो जमानत पर रिहा किया जजों ने मामले के बारे में जनवरी के उनके आदेश ए गए। भाटी ने बताया कि यों के साथ कड़ा नजरिया सी की सजा हुई है। इस इन कैदियों की फांसी की में बदल गई। हमें सरकार खकर कष्ट होता है।

जब याचिकाकर्ता के ी कितने समय से जेल में या कि पंद्रह साल से है। की गई गौर को जजों ने औपचारिकता बताया और कहा कि वे सरकार को नए सिरे से विचार करने का आदेश देते हैं।

अदालत ने राज्य सरकार को कैदियों की जल्दी रिहाई की फरियाद पर गौर करने को कहा था। लेकिन राज्य सरकार ने उनकी फरियाद नामंजूर कर दी थी। मामले की पृष्ठभूमि और पिछले आदेशों पर भी अदालत ने गौर किया। उसने पाया कि चार अभियुक्तों को 11 अक्तूबर 1998 को एक देशी पिस्तौल से हत्या करने का आरोपी बनाया गया था। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव ने उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं बरतने के कई कारण गिना दिए। जजों ने कहा कि इसमें कोई गोपनीयता नहीं है कि ये कैदी किसी और अपराध में लिप्त नहीं रहे। सरकार का यह कहना कि उनके द्वारा फिर अपराध नहीं करने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, बेतुकी बात है। सरकार के फैसले को अदालत ने खारिज कर दिया।

केरल के लिए राजग का घोषणापत्र जारी

तिरुवनंतपुरम, 24 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को यहां केरल विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का घोषणापत्र जारी किया। इसमें सबरीमला के लिए कानून और लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ ही हर परिवार से कम से कम एक सदस्य को रोजगार और हाई स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप समेत कई वादे किए गए हैं।

जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि भाजपा का घोषणापत्र प्रगतिवादी, गतिशील और विकास पर केंद्रित है और केरल को ऐसे घोषणापत्र का इंतजार था। वाम नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजनाओं में मामूली बदलाव कर लोगों के समक्ष उसे अपनी योजना के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हुई।

फॉर्म-ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

जेनिका कार्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	जेनिका कार्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	04 मई, 2007
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	U74900HR2007PTC043098
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजी. कार्यालयः आर्किड सेंटर, सैक्टर- 53 गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, हरियाणा- 122001
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	22.03.2021 (24.03.2021 को आईआरपी को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	17.09.2021 (दिवाला शुरू करने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	राजेन्द्र कुमार जैन, **IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968**
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	मकान नं. 3698/1, प्रथम तल, सेक्टर 46-सी, चंडीगढ़-160047 ईमेल आईडीः amicusthe@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	एससीओ-818, प्रथम तल, एनएसी मनीमाजरा, चंडीगढ़- 160101 **ई-मेल: ZENICACARSCIRP@GMAIL.COM** मोबाईल नं. +91-73470-11150
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.04.2021
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	श्रेणी का नाम- एनए
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. एनए 2. एनए 3. एनए
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) web link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html लागू फॉर्म के लिए कृपया नीचे दी टिप्पणी 1 को देखें (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने 22.03.2021 को **जेनिका कार्स प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।

जेनिका कार्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 05 अप्रैल, 2021 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल **इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा** अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अध्याय IV के अनुसार करना चाहिए। दावे के प्रमाण को उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है:

टिप्पणी-1

फॉर्म बीः परिचालन लेनदार द्वारा दावे के लिए (कामगार व कर्मचारियों को छोड़कर)
फॉर्म सीः वित्तीय लेनदारों द्वारा दावे के लिए
फॉर्म सीएः श्रेणी में वित्तीय लेनदारों के दावे के लिए
फॉर्म डीः कामगार व कर्मचारियों द्वारा दावे के लिए
फॉर्म इः कामगार व कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे के लिए
फॉर्म एफः प्रचालनों तथा वित्तीय लेनदारों से अन्य लेनदारों द्वारा दावे के लिए

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

दावा प्रपत्र में संपर्क विवरण का उल्लेख करें ताकि दावे के बारे में किसी भी पूछताछ को तुरंत हल किया जा सके।

राजेन्द्र कुमार जैन,
(Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968)
जेनिका कार्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर

दिनांकः 24.03.2021
स्थानः चंडीगढ़

फॉर्म-ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

जेनिका पर्फोर्मेन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	जेनिका पर्फोर्मेन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	26.06.2012
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	U50200HR2012PTC046355
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजी. कार्यालयः आर्किड सेंटर, सैक्टर- 53 गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, हरियाणा- 122001
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	22.03.2021 (24.03.2021 को आईआरपी को आदेश प्राप्त हुआ)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	17.09.2021 (दिवाला शुरू करने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	राजेन्द्र कुमार जैन, **IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968**
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	मकान नं. 3698/1, प्रथम तल, सेक्टर 46-सी, चंडीगढ़-160047 ईमेल आईडीः amicusthe@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	एससीओ-818, प्रथम तल, एनएसी मनीमाजरा, चंडीगढ़- 160101 **ई-मेलः ZENICAPERCARSCIRP@GMAIL.COM** मोबाईल नं. +91-73470-11150
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.04.2021
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	श्रेणी का नाम- एनए
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. एनए 2. एनए 3. एनए
14.	(क) संबंधित फार्म और (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) web link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html लागू फॉर्म के लिए कृपया नीचे दी टिप्पणी 1 को देखें (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने 22.03.2021 को **जेनिका पर्फोर्मेन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।

जेनिका पर्फोर्मेन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पतों पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 05 अप्रैल, 2021 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल **इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा** अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अध्याय IV के अनुसार करना चाहिए। दावे के प्रमाण को उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है:

टिप्पणी-1

फॉर्म बीः परिचालन लेनदार द्वारा दावे के लिए (कामगार व कर्मचारियों को छोड़कर)
फॉर्म सीः वित्तीय लेनदारों द्वारा दावे के लिए
फॉर्म सीएः श्रेणी में वित्तीय लेनदारों के दावे के लिए
फॉर्म डीः कामगार व कर्मचारियों द्वारा दावे के लिए
फॉर्म इः कामगार व कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे के लिए
फॉर्म एफः प्रचालनों तथा वित्तीय लेनदारों से अन्य लेनदारों द्वारा दावे के लिए

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

दावा प्रपत्र में संपर्क विवरण का उल्लेख करें ताकि दावे के बारे में किसी भी पूछताछ को तुरंत हल किया जा सके।

राजेन्द्र कुमार जैन,
(Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-2018/10968)
जेनिका पर्फोर्मेन्स कार्स प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर

दिनांकः 24.03.2021
स्थानः चंडीगढ़

Jansatta 25.03.2021